Annexure - 1

State CAMPA
Annual Plan of operations 2009-10
Guidelines for submission of proposals

Office of The Principal Chief Conservator of Forests, Chhattisgarh

राज्य कैम्पा ए.पी.ओ. 2009–10 को अंतिम रूप देने हेतु दिशा निर्देश

1. राज्य कैम्पा ए.पी.ओ. 2009–10 तैयार करने हेतु नीचे तालिका – 1 में दर्शाये अनुसार मुख्य घटकवार राशि प्रस्तातिव की गयी है। प्रत्येक मुख्य घटक के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो पर संभावित व्यय संलग्न तालिका – 02 में दिया गया है। उपरोक्त कार्य संबंधी दिशा निर्देश नीचे दिये गये है।

तालिका – 1 **Annual Plan of Operations 2009-10 - Abstract**

S.No.	**Component**	**Amount in (Rs. Crores)**
I	**Proposed Activities using Funds for CA**	
1.	Compensatory afforestration	**15.00**
II	**Proposed Activities using NPV Funds**	
2.1	High tech plantations & other works	25.00
2.2	Forest protection	12.76
2.3	IT in forestry & working plan support system	15.00
2.4	Research and Training	13.00
2.5	Medicinal plants development	3.00
2.6	Infrastructure development and staff amenities	19.74
2.7	Wild life & biodiversity conservation.	17.00
3	CAMPA Administration	0.21
4	Monitoring & Evaluation @ 2%	2.46
	Sub total	**108.17**
	Grand total	**123.17**

1. सी.ए. फण्ड से प्रस्तावित कार्य

Compensatory Afforestration

प्रस्ताव – कैम्पा फण्ड से प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने संबंध में नीचे दर्शाये अनुसार प्रक्रिया अपनाना है।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

1. **परियोजना क्षेत्र सीमा का डिजिटालाईजेशन** – संपूर्ण परियोजना क्षेत्र सीमा को GPS के सहायता से डिजिटालाईजेशन कर वनमंडल नक्शा पर सुपर–इंपोज करना है। संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा उपरोक्त रोपण क्षेत्र निरीक्षण कर क्षेत्र उपलब्धता/रोपण हेतु स्थल उपयुक्ता/प्रमाण पत्र तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई रोपण स्थान अनुपलब्ध होने की स्थिति में नवीन क्षेत्र में रोपण कार्य प्रस्तावित करने हेतु रोपण स्थल परिवर्तन के संबंध में रोपण के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इस संबंध में ध्यान देवे कि रोपण स्थल परिवर्तन करने हेतु गैर वन क्षेत्र के बदले मात्र गैर वन क्षेत्र को ही प्रस्तावित किया जाना है।
2. **उपचार मानचित्र** – संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में पुनरूत्पादन सर्वेक्षण कर उपचार मान चित्र तैयार करना है। इसके अन्तर्गत समस्त उपचार वर्ग की सीमा दर्शाना है।
3. **परियोजना निर्माण** – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव में रोपित किये जाने वाले प्रजाति, पौध संख्या, चयनित रोपणी नाम आदि विवरण देना है। भारत शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण कार्यो को वर्तमान मजदूरी दर के आधार पर पुरनीक्षित प्रस्ताव तैयार कर वन संरक्षक द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त करते हुए ए.पी.ओ. में सम्मिलित करने हेतु स्थल वार परियोजना प्रस्ताव भेजना है।

4. **क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य** – रोपण प्रक्रिया पूर्व स्वीकृत योजना के अनुरूप ही होगी व यदि रोपण योग्य स्थल अनुपलब्ध है या अधिक जड़ भंडार अथवा सघन वन का क्षेत्र है तो उतने क्षेत्र के स्थान पर रोपण हेतु अन्य उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर, रोपण प्रस्तावित करें। वृक्षारोपण कार्य में न्यूनतम 4 फीट उची (टाल) सीडलिंग रोपण किया जाना है। रोपण सुरक्षा, मानिटरिंग हेतु उचित प्रावधान करना है। सिंचित वृक्षारोपण हेतु गर्मी माह में पर्याप्त सिंचाई पानी संपूर्ण रोपण क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. उपरोक्त क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण कार्य की पूर्व स्वीकृत राशि, पुनरीक्षित स्वीकृत राशि तथा इसका अंतर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है ताकि इसका अनुमोदन राज्य स्तर स्टीरिंग कमेटी से प्राप्त किया जा सके।
6. प्रत्येक परियोजना के लिए User agency द्वारा जमा की जाने वाले राशि, जमा की गई राशि विवरण अनिवार्यतः उपलब्ध करना है।

अपेक्षित कार्यवाही –

(1) **क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण** – विवरण को Site wise details के साथ प्रस्तुत करना है। इस के साथ

a. रोपण क्षेत्र का परियोजना प्रस्ताव तथा तकनीकी स्वीकृति आदेश प्रति
b. उप वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी स्थल उपलब्धता/उपयुक्तता प्रमाण पत्र
c. उपचार मान चित्र
d. रोपण क्षेत्र सीमा डिजिटालाजेशन हेतु समस्त जी.पी.एस. Co-ordinates विवरण मय नक्शा
e. भारत शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत परियोजना की प्रति तथा स्वीकृति आदेश
f. भारत शसन द्वारा स्वीकृत रोपण क्षेत्र का परिवर्तन नही किये जाने के संबंध में वनमंडलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

g. रोपण क्षेत्र के लिए पूर्व स्वीकृत एवं पुनरीक्षित स्वीकृत, राशि में अंतर का विवरण, कारण सहित प्रस्ताव

h. चयनित प्रजाति, पौध संख्या, रोपणी विवरण देना है।

(2) पूर्व में की गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्रों को संरक्षित वन (PF) घोषित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को भेजना है।

(3) वन भूमि व्यपवर्तन संबंधी प्रकरण समस्त के लिए – निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि – यूजर एजेंसी द्वारा जमा राशि – यूजर एजेंसी द्वारा जमा की जाने वाली शेष राशि – वनमंडल द्वारा एड–हॉक कैम्पा में जमा राशि – अन्य खाते में जमा राशि – वनमंडल स्तर पर शेष राशि विवरण प्रस्तुत करना है।

(4) परियोजना लागत के अन्तर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर सर्वे सीमांकन, पौधरोपण, बिगड़े वन क्षेत्र में पुनः स्थापना कार्य संघन वन सहायक पुनरूत्पादन उपचार (ANR कार्य), भू जल संरक्षण, वन सुरक्षा, फेन्सिग/ CPT निर्माण का प्रावधान करना है।

2. एन.पी.वी. फण्ड से प्रस्तावित कार्य

2.1 Enhancement of Productivity in Natural Forests

प्राकृतिक वनों के उत्पादकता बढ़ाने हेतु उपचार :

लक्ष्य प्रत्येक वन वृत्त 3000 हे. के प्रस्ताव जिसमें कम से कम 1000 हे. वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित हो भेजेंगे। इस 5 वर्ष के लिए 15000 हे. क्षेत्रफल प्रति वृत्त उपचार हेतु प्रस्तावित करना है।

(1) Background

छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक वनों का प्रबंधन कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। इसमें Well Stocked High Forest को प्रवरण सह सुधार (SCI) तथा सुधार (Improvement) कार्य वृत्तों के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए विभिन्न प्रकार के विदोहन तथा उपचार प्रावधानों को अमल की जाती है ताकि सतत् वन प्रबंधन (Sustainable Forest Management) का अवधारणा सुनिश्चित हो सके। परन्तु जैविक दबाव के कारण उपरोक्त कार्य वृत्त के अंतर्गत हाई फारेस्ट के कुछ भाग रिक्त/विरल वन के रूप में

परिवर्तित हुआ है तथा पुनरूत्पादन स्थापित होने में कठिनाई भी हो रही है। इस प्रकार के विरल वन क्षेत्रों में पुनः स्थापना कार्य तथा पुनरूत्पादन समस्यात्मक वन क्षेत्रों में सहायक पुनरूत्पादक कार्य (Assisted Natural Regeneration Works), रिक्त वन क्षेत्रों में हाईटेक वृक्षारोपण (High Tech Plantations), वन क्षेत्रों में जल संवर्द्धन कर पर्यावरण संतुलन लाने हेतु माईक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट (Micro Watershed Managerment) कार्य तथा स्थल विशेष वन प्रबंधन विधि (Site Specific Forest Management Practices) द्वारा उपचार कर वन उत्पादकता बढ़ाना ही राज्य कैम्पा फण्ड (State CAMPA Fund) का मूल उद्देश्य है।

(2) परियोजना क्षेत्र चयन

उपरोक्तानुसार कैम्पा फण्ड की सहायता से प्रत्येक वर्ष 20,000 हे. की मान से आगामी 5 वर्ष के लिए कुल 1,00,000 हे. प्राकृतिक वनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपचार किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए प्रत्येक वनमंडल में रिक्त/विरल हाई फारेस्ट क्लस्टर्स (Degraded High Forest Clusters) को प्रवरण सह सुधार (SCI) तथा सुधार (Improvement) कार्य वृत्तों के अन्तर्गत चयन कर उपचार किया जाना प्रस्तावित है ताकि उपचार कार्य में एकरूपता हो, निरीक्षण – मूल्यांकन में सुविधा हो तथा कैम्पा फण्ड द्वारा स्वीकृत कार्य एवं कार्य क्षेत्र का पृथक पहंचान हो। इस हेतु उपरोक्त कार्य वृत्तों में विरल/रिक्त वन क्षेत्र अधिक मात्रा में पाये जाने वाले फेलिंग सिरीस (Felling Series) को चिन्हांकित कर उपचार सीरीस अथवा क्लस्टर्स (Treatment series or Clusters) बनाना है। प्रत्येक CAMPA treatment series के अन्तर्गत न्यूनतम 2 या 3 फेलिंग सीरीस एक ही स्थान में उपलब्ध होना उचित है। इन क्षेत्रों का चयन फेलिंग सीरीज 11वें कूप से ही किया जावे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त क्लस्टर्स चिन्हांकन संबंधी निर्देशों में भविष्य में कुछ संशोधन भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक उपचार क्लस्टर में लगभग 2000 से 5000 हे. रिक्त/विरल वन क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार परियोजना क्षेत्र चयन करने हेतु एफ.एस.आई./Google के वन अच्छादन मानचित्र, कार्य आयोजना के जानकारी तथा स्थानीय वन क्षेत्र की स्थिति के आधार बनाया जा सकता है। इसके पश्चात् वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी स्तर के वन अधिकारी क्षेत्र निरीक्षण कर उपयुक्त पाने की स्थिति में उपचार क्लस्टर बनाने हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना है। उपरोक्तानुसार चयनित उपचार

क्लस्टर का सीमा Gps की सहायता से डिजिटालाईज कर वनमंडल के मैनेजमेंट मैप तथा स्टौक मैप पर एफ. एस.आई. डाटा के साथ दर्शाते हुए परियोजना प्रस्ताव में संलग्न करना है। **उपरोक्त क्षेत्र संबंधी कार्य वृत्त, फेलिंग सिरीस वार कक्ष, कूप क्षेत्रफल तथा अनुमानित उपचार क्षेत्रफल विवरण गणना कर तालिका के रूप में परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित करना है।**

(3) वार्षिक उपचार क्षेत्र में पुनरूत्पादन सर्वेक्षण – उपचार मानचित्र की तैयारी

- वन क्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी द्वारा क्षेत्र निरीक्षण कर उपचार मानचित्र तैयार करना है।
- उपचार मानचित्र तैयार करने हेतु 1:15,000 स्केल के मानचित्र पर 150 X 150 मीटर दूरी पर ग्रिड बिंदु चिन्हांकित कर सेम्पल बिन्दु का Coordinates गणना करना है। GPS या कंपास की सहायता से मौके पर 0.1 हे. सेम्पल प्लॉट स्थापित किया जाना है।
- प्रत्येक सेम्पल प्लाट मे 20 से.मी. से अधिक गोलाई के वृक्षो की गोलाई, स्थापित तथा अस्थापित पुनरूत्पादन का विवरण, मृदा प्रकार एवं गहराई की जानकारी निर्धारित प्रारुप में एकत्रित कर गोश्वारा तैयार किया जाना चाहिए।
- उपरोक्त सर्वेक्षण जानकारी के अनुसार मानचित्र पर विभिन्न प्रकार के उपचार वर्ग वार क्षेत्र स्पष्ट रुप से दर्शाया जावेगा। 2 हे. से कम क्षेत्र के लिये पृथक से उपचार नहीं दर्शाया जाना चाहिए।
- सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा उपचार मानचित्र का मौके पर सत्यापन कर उनमें आवश्यक सुधार अनिवार्यतः किया जाना चाहिए।

(4) वार्षिक उपचार क्षेत्र सीमा का डिजिटालाईजेशन

जी.पी.एस. की सहायता से वृक्षारोपण सीमा, प्रत्येक उपचार वर्ग के सीमा का कोआर्डिनेर्टस रिकार्ड कर रोपण नक्शा तैयार करनी है तथा इसका डिजिटालाईजेशन कर वनमंडल नक्शा पर सुपर इंपोज करना है। ताकि भविष्य में Remote Sensing Satellite की सहायता से मूल्यांकन किया जा सके।

(5) परियोजना निर्माण – परियोजना लागत

रोपण परियोजना में क्षेत्र की सामान्य जानकारी, स्थिति, उपचार विधि, लागत तथा उपचार मानचित्र आदि का समावेश किया जाना चाहिए। रोपण परियोजना में पूर्ण क्षेत्र को आवश्यकतानुसार उपचार वर्गों में बांटकर उपचार प्रक्रिया प्रस्तावित करना चाहिए। उपचार मानचित्र में दर्शाये 4 उपचार वर्ग हेतु पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर संपूर्ण वार्षिक कूप हेतु संयुक्त रोपण उपचर प्रस्ताव प्रस्तुत करना हैं। रोपित किये जाने वाली प्रजातियों एवं रोपणी का नाम स्पष्ट रुप से उल्लेखित किया जावें । रोपण क्षेत्र में रोपित की जाने वाले पौध संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण की जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जावे तथा परियोजना निर्माण के पूर्व रोपण की जाने वाले पौध संख्या प्रति हे. निर्धारित न करें। सी.बी.ओ., क्लीनिंग तथा सिंगलिंग जैसे कल्चरल आपरेशन्स हेतु वर्कस्टडी करते हुए संभावित व्यय निर्धारण करना है। इस प्रकार तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन को नार्मस् के अंतर्गत लाने हेतु आवश्यक सुधार करें। ''**परंतु ध्यान रखें कि परियोजना व्यय के नार्मस् केवल अनुमानित है, परियोजना निर्माण वास्तविक आवश्यकता के अनुरुप ही होना चाहियें।**'' वर्तमान में समस्त प्रोजेक्ट प्रचलित विभागीय नार्मस के अनुसार ही बनाये जावें।

(6) रोपण परियोजना की स्वीकृती

परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार किये गये रोपण परियोजना को उप वनमंडलाधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा से वन संरक्षक को भेजा जायेगा। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव को पूर्ण परीक्षण कर तकनीकी स्वीकृति देने के उपरान्त कैम्पा में सम्मिलित करने हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। तकनीकी स्वीकृति के बिना किसी भी प्रस्ताव पर मुख्यालय स्तर पर विचार नही किया जायेगा। स्वीकृति के पश्चात् यदि क्रियान्वयन में किसी कारण से व्यापक परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो पुनरीक्षित परियोजना तैयार कर वन संरक्षक से पुनरीक्षित स्वीकृती लेना आवश्यक है।

(7) वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन तथा रोपणी व्यवस्था

वन प्रबंधन समिति सलाह तथा तकनीकि दृष्टि से उपयुक्त प्रजाति को रोपण हेतु प्रस्तावित करना है। जहां तक संभव हो एक उपचार सीरीज/क्लस्टर में एक प्रकार की प्रजाति रोपण किया जाना है। तकनीकी दृष्टि से यह संभव न होने की स्थिति में अन्य उपयुक्त प्रजाति का रोपण किया जा सकता है। उपरोक्त रोपण कार्य हेतु पृथक विभागीय नर्सरी में उच्च गुणवत्ता के ऊंचे सीडलिंग तैयार करना है। भविष्य में इस हेतु कुछ विभागीय नर्सरी हाईटेक नर्सरी के रूप में अपग्रेड किया जायेगा।

(8) उपचार क्षेत्र में प्रस्तावित उपचार वर्ग

रोपण क्षेत्र (वार्षिक कूप) को मुख्य रूप से चार भागो में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क्र.	उपचार वर्ग	प्रस्तावित उपचार कार्य
(अ)	पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र	सफल वृक्षारोपण में रोपण प्रबंधन कार्य असफल वृक्षारोपण क्षेत्र में स्वीकृति के पश्चात् पुनः रोपण
(ब)	रोपण योग्य क्षेत्र	हाईटेक वृक्षारोपण – सिंचित सागौन रोपण – असिंचित सागौन रोपण – असिंचित आंवला रोपण – असिंचित बांस रोपण – असिंचित क्षेत्र विशेष प्रजाति रोपण
(स)	बिगड़े वन क्षेत्र	पुनः स्थापना कार्य – रोपण सहित – रोपण रहित – क्लीनिंग कार्य
(द)	सघन वन क्षेत्र	सहायक पुनरूत्पादन कार्य – कलीनिग, सुधार कार्य, पौध अगीकरण

प्रत्येक उपचार वर्गवार विवरण निम्नानुसार है

(9) (अ) पुराने वृक्षारोपण क्षेत्र का उपचार (उपचार वर्ग–अ)

असफल वृक्षारोपण क्षेत्र में असफलता के कारणों का वन मंडलाधिकारी द्वारा विश्लेषण किया जायेगा । यदि विश्लेषण में यह पाया जाता है कि उपचार कार्य करने से रोपण क्षेत्र में सुधार आ सकता है तो शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी/शासन से स्वीकृति प्राप्त कर रोपण क्षेत्र में पुनः उपचार कार्य किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण सफल होने की स्थिति में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार रोपण प्रबंधन कार्य के तहत सग्रीय फामूला के तहत विरलन तथा कल्चरल आपरेशन्स आदि किया जाना है।

(9) (ब) रोपण योग्य क्षेत्र का उपचार – हाईटेक वृक्षारोपण द्वारा

हाईटेक वृक्षारोपण के तहत उन्नत रोपण तकनीकी के साथ ऊंचे सीडलिग्स, ग्राफ्टेड/क्लोनल पौधे का रोपण करना प्रस्तावित है। इस रोपण में पौधों को अधिक खाद, अन्य इनपुट्स तथा उत्तम सुरक्षा व्यवस्था आदि सुनिश्चित करते हुए सफल एवं Highly Productive वृक्षारोपण किया जाने हेतु प्रयास किया जायेगा। इन कार्यो हेतु उपचार अवधि 5 वर्ष होगी। इस रोपण के तहत 5 वर्ष के भीतर रोपित पौधो को स्थापित कराते हुए वन उत्पादक्ता एवं घनत्व बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

2.1.1 विभिन्न हाईटेक वृक्षारोपण माडल

(i) सिंचित सागौन वृक्षारोपण

मध्यम तथा अधिक गहरी मृदा वाले क्षेत्र जहां Surface water, सिंचाई सुविधा तथा थ्री फेस बिजली व्यवस्था उपलब्ध है, सिंचित सागौन रोपण हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। इस हेतु ट्यूब वेल खोद कर सिंचाई उपलब्ध नहीं कराना है। गर्मी के मौसम में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में सिंचाई रोपण प्रस्तावित नहीं करना है। वनमंडलाधिकारी को जारी की सम्पूर्ण वर्ष में सम्पूर्ण क्षेत्र की सिंचाई हेतु उपलब्ध हेतु प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में देना आवश्यक है। उपरोक्त सागौन रोपण मिश्रित वन क्षेत्र में उपयुक्त होती है। सागौन रोपण हेतु दलदली, काली मिट्टी तथा लैट्राईट मृदा चयन नहीं किया जाना है। प्रि स्प्रौटेड सागौन रूट शूट पौधों को 2x2 मी. अन्तराल में रोपण किया जाना है। रोपण कार्य फरवरी माह में अनिवार्यतः पूर्ण होना है। चूंकि सिंचाई सुविधा सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है अतः प्रत्येक वर्ष 10 से 20 हे. क्षेत्रफल में सिंचित रोपण किया जा सकता है। सिंचित सागौन रोपण लगातार 5 वर्ष रोपण कर क्लस्टर बनाने हेतु एक ही कक्ष या नजदीकी कक्ष में क्षेत्र चयन किया जा सकता है।

(ii) असिंचित सागौन वृक्षारोपण

उपरोक्तानुसार बिना सिंचाई के सागौन वृक्षारोपण 25 से 50 हे. क्षेत्रफल प्रति वर्ष की मान से प्रस्तावित कर सकते है। रोपण कलस्टर बनाने हेतु उचित फेलिंग सिरीज चयन करना है। रोपण कार्य जून आखरी सप्ताह के पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक पानी रोपित पौधों को मिल सकें।

(iii) असिंचित बांस रोपण

बिगड़े बॉस वन क्षेत्र, बॉस पुष्पित क्षेत्र, बॉस वन जहां बॉस लुप्त हुआ है, असिंचित बॉस रोपण प्रस्तावित करने हेतु उपयुक्त है। इसके तहत 4 से 5 फीट ऊची टॉल सीडलिंग्स रोपण किया जाना है। रोपण सफलता हेतु अग्नि सुरक्षा एवं चराई नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना है। चूंकि बांस भिर्रा की वृद्धि मुख्यतः मानसून अवधि में ही रहती है अतः इसी अवधि के बीच में पौध रोपण, प्रथम निंदाई, द्वितीय निंदाई तथा त्रितीय निंदाई आदी को पूर्ण करना है। निंदाई के समय बांस भिर्रा के चारो ओर गुड़ाई कर कम से कम 0.5 मीटर ऊचाई तक मिट्टी चढ़ाना है ताकि नये कलम के राईजोम गर्मी के कारण नष्ट न हो सके। उपरोक्त क्षेत्र में पुराने भिर्रे के सुधार, मिट्टी चढ़ाने का कार्य, अन्य पौधो के लिए कल्चरल आपरेशन कार्य भी परियोजना में प्रस्तावित करना है।

(iv) असिंचित आंवला रोपण

आंवला समृद्ध क्षेत्र जहां आंवला का घनत्व कम हो रहे है आंवला रोपण हेतु चयन किया जाना उचित होगा। एक परिक्षेत्र या वनमंडल को आंवला रोपण क्षेत्र के रूप में विकसित करने से आंवला प्रसंस्करण तथा विपणन में सुविधा होगी। इसके तहत ग्राफ्टेड आंवला – एन.ए. 7 वेराईटी का 4 फीट ऊची पौधे रोपण किया जाना है। रोपण वर्ष में रोपित पौधे की तने से निकल रहे देशी पौध शाखाओं को तोड़ना बहुत आवश्यक है अन्यथा कल्मी पौधे के स्थान पर देशी पौधे बढ़ेगी। उपरोक्त रोपण क्षेत्र में पोलिनेशन हेतु 10 से 15 % देशी आंवला पौधे रोपित करना आवश्यक है।

(v) क्षेत्र विशेष प्रजाति रोपण

प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में कोई एक मूल्यवान प्रजाति का घनत्व अधिक होने की स्थिति में उक्त प्रजाति विस्तार/संवर्द्धन हेतु क्षेत्र विशेष प्रजाति रोपण प्रस्तावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कांकेर वनमंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र में हर्रा अधिक होने के कारण हर्रा का रोपण प्रस्तावित किया जा सकता है। इसी प्रकार कांकेर वनमंडल के चारामा परिक्षेत्र में बहेड़ा अधिक होने के कारण बहेड़ा वृक्षारोपण प्रस्तावित किया जा सकता है। चयनित प्रजाति का 4 फीट ऊची टाल सीडलिंग्स का रोपण प्रस्तावित किया जा सकता है। कुल पौधों में उपरोक्त प्रजाति के पौधे 80% तक रहेगा शेष पौधे मिश्रित प्रजाति का होगा ।

(9) (ब) बिगड़े वन क्षेत्र उपचार (आर.डी.एफ.)

2.1.2 पुनः स्थापना कार्य

इस कार्य के तहत स्थानीय जड़ भंडार की सहायता से वन घनत्व तथा उत्पादक्ता बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। जहां तक संभव हो रोपण कार्य नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के क्षेत्र में 2 प्रकार के उपचार सबटाईप्स उपलब्ध होगी जिसका विवरण संक्षिप्त में नीचे तालिका में दिया गया है।

Assisted Natural regeneration works (सहायक पुनरूत्पादन कार्य) में उपचार सबटाईप

क्र.	उपचार वर्ग	प्रस्तावित उपचार कार्य
1.	**आर.डी.एफ. क्षेत्र**	पुनः स्थापना कार्य (Rehabilitation)
(अ)	अपर्याप्त जड़भंडार	ठूंठ ड्रेसिंग, सिंगलिंग सी.बी.ओ. कार्य, गहरी मृदा वाले रिक्त क्षेत्रों में रोपण करना है। (न्यूनतम 5 हे. प्लाट में) गैप प्लांटिग कार्य जहां तक संभव हो नहीं करना है, क्योंकि रूट स्टाक से काम्पिटिशन अधिक होने के कारण स्थापित नहीं हो सकेगा।
(ब)	पर्याप्त जड़भंडार	ठूंठ ड्रेसिंग, सिंगलिंग, सी.बी.ओ. कार्य तथा क्लीनिंग कार्य करना है। रोपण कार्य नहीं करना है।
2.	**सघन वन क्षेत्र**	सहायक पुनरूत्पादन कार्य (ANR)
(स)	अपर्याप्त पुनरूत्पादन	पुनरूत्पादन में सी.बी.ओ. कार्य, सिंगलिंग कार्य, ठूंठ ड्रेसिंग तथा चयनित प्रजाति का प्लांट अडाप्शन (Plant Adoption)
(द)	संघन पुनरूत्पादन	पुननरूत्पादन में प्रतिस्पर्धा कम करने हेतु क्लीनिंग कार्य

- ❖ इस संबंध में ध्यान देना है कि 90 से.मी. से अधिक गोलाई की कापिस ठूंठको ड्रेसिंग नहीं करना है। आडे तिरछे कापिस प्रजाति पौधों का कट बैक कार्य सितम्बर – अक्टूबर या मार्च माह में पूर्ण करना है क्योंकि उक्त अवधि में कापिस विगर अधिक रहती है। कम घनत्व के पुनरूत्पादन में (5 मी. से अधिक दूरी पर स्थापित पुनरूत्पादन उपलब्ध हो) चूनिंदा मुख्य प्रजाति पौधे का चारो ओर निंदाई करते हुये ताला निर्माण कर पौध अंगीकरण (प्लांट आडप्शन) कार्य किया जाए। सघन पुनरूत्पादन में (2मी. से कम दूरी पर स्थापित पुनरूत्पादन उपलब्ध हो) क्लींनिंग कार्य कर घनत्व कम करना है। क्लीनिंग कार्य तथा सी.बी.ओ. आपरेशन्स की अवधि पृथक होगी, अर्थात क्लीनिंग कार्य वर्षा के सीजन या दिसम्बर–जनवरी में किया जाना उपयुक्त होगा क्योंकि इन पौधों से कापिस प्राप्त नहीं करना है। तृतीय उपचार वर्ष में कापिस का सिंगलिंग कार्य करना है। उपरोक्त कार्य का उपचार अवधि 5 वर्ष रहेगी।
- ❖ (9) (ड) **सघन वन क्षेत्र का उपचार** – सहायक पुनरूत्पादन कार्य (ANR) द्वारा कार्या आयोजना प्रावधानों तहत विरलन तथा सुधार कार्य विगत वर्ष के कूप विदोहन के समय होना है। इसके पश्चात् भी किसी प्रकार की कमी हो तो कार्य आयोजना प्रावधानों के तहत सुधार कार्य करना है। पुनरूत्पादन समस्या होने की

स्थिति में सहायक पुनरूत्पादन कार्य किया जाना है। कम घनत्व के पुनरूत्पादन में (5 मी से अधिक दूरी पर स्थापित पुनरूत्पादन उपलब्ध हो) चूनिंदा मुख्य प्रजाति पौधे का चारो ओर निंदाई करते हुये ताला निर्माण कर पौध अंगीकरण (प्लांट आडप्शन) कार्य किया जाए। सघन पुनरूत्पादन में (2मी. से कम दूरी पर स्थापित पुनरूत्पादन उपलब्ध हो) क्लींनिंग कार्य कर घनत्व कम करना है। क्लीनिंग कार्य तथा सी.बी.ओ. आपरेशन्स का अवधि पृथक होगी। अर्थात क्लीनिंग कार्य वर्षा के सीजन या दिसम्बर–जनवरी में किया जाना उपयुक्त होगा क्योंकि इन पौधों से कापिस प्राप्त नहीं करना है। तृतीय उपचार वर्ष में कापिस का सिंगलिंग कार्य करना है। उपरोक्त कार्य का उपचार अवधि 5 वर्ष रहेगी। अग्नि सुरक्षा चराई नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना है।

(9) भू–जल संरक्षण कार्य

क्षेत्र आवश्यकतानुसार कान्टूरट्रेंच, नालाबंडीग आदि कार्य किया जाना है। वन घनत्व अधिक होने की स्थिति में किसी प्रकार का भू–जल संरक्षण कार्य का आवश्यकता नहीं होगी।

(10) क्षेत्र सुरक्षा –

उपरोक्तानुसार संपूर्ण वार्षिक कूप सीमा को फेन्सिग द्वारा सुरक्षा करना है। चूंकि कूप का क्षेत्र फल बहुत अधिक होता है। अतः चयनित कूप में न्यूनतम 70% क्षेत्रफल विरल या रिक्त होने पर ही उपरोक्तानुसार सुरक्षा किया जाना है। अन्यथा इस संबंध में विशेष स्वीकृति ली जाना प्रस्तावित है।

- वृक्षारोपण परियोजना में अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाईन बनाना तथा रख–रखाव करने का प्रावधान करना है।

- स्व–सहायता समूह के सहयोग से ग्राम/वन क्षेत्र के महुंआ वृक्षों को परम्पारगत रूप से महुआ बीनने वाले परिवारों के बीच सर्वसहमति से बाटना चाहिए इसका अनुमोदन समिति के आमसभा में कराना है।

- रोपण क्षेत्र में चराई नियंत्रण हेतु चरवाहों को उचित निर्देश देकर चराई हेतु अन्य उपयुक्त स्थान का चयन करना है। इस संबंध में ध्यान देना है कि चराई हेतु चयनित स्थान में क्षेत्र क्षमता से अधिक चराई न हो। नजदीकी ग्रामों के मवेशी द्वारा रोपण क्षेत्र में चराई समस्या न हो उक्त ग्राम तथा वन प्रबंधन समिति के बीच में बैठक आयोजन कर चराई हेतु उचित व्यवस्था करना है।

- वृक्षारोपण क्षेत्र के सुरक्षा कार्य में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की भूमिका बढ़ाने हेतु समिति विकास राशि को प्रदाय करना प्रस्तावित है। सफल वृक्षारोपण हेतु उक्त समिति को इन्सेटिव प्रदाय किया जाना प्रसतावित है।

(11) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

रोपण मूल्यांकन की दृष्टि से संपूर्ण रोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ निर्माण हेतु परियोजना प्रस्ताव में प्रावधान करना है। इस हेतु संपूर्ण रोपण क्षेत्र को सेक्टर्स में विभाजित करना है ताकि प्रत्येक सेक्टर में लगभग 5000 पौधे रोपित हो सके। उपरोक्त क्षेत्र का आंतरिक मूल्यांकन स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से की जायेगी। कैम्पा के मानिटरिंग दल द्वारा बाह्य मूल्यांकन कार्य भी की जायेगी। रोपण क्षेत्र में गूगल, एफ.एस. आई. सेटेलाईट डाटा के आधार पर समय–समय पर उपचार क्षेत्र में वन घनत्व में आने वाले परिवर्तन का आंक्लन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन द्वारा भी उपरोक्त कार्य का पर्फारमेंस आर्डिट किया जा सकता है।

2.1.3. Micro Watershed Management work in forest Areas :

वर्तमान में महानदी एवं शिवनाथ के Catchment Area में प्रत्येक वन वृत्त से दो–दो माईक्रो वाटरशेड क्षेत्र का उपचार हेतु प्रस्ताव दिये जावें अर्थात लगभग 5000 हे. क्षेत्रफल प्रति वृत्त के मान से रायपुर तथा दुर्ग वृत्त द्वारा प्रस्ताव भेजना है। इस क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्रफल विरल वन होना आवश्यक है तथा गैर वन क्षेत्र बहुत कम होना है।

राज्य के मुख्य नदी नाले का केचमेंट क्षेत्र उपचार हेतु वाटर शेड प्रबंधन कार्य प्रस्तावित की जा सकती है। चयनित परियोजना क्षेत्र में न्यूनतम 70-90% वन क्षेत्र जो मुख्यतः विरल/रिक्त अवस्था में है, शेष गैर वन क्षेत्र होगी। सामान्यतः एक माईक्रो वाटरशेड का क्षेत्र फल 3000 से 5000 हे. तक रहती है। एक माइक्रो वाटरशेड का पूर्ण क्षेत्रफल परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत लेना है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 हे. की मान से कुल 3 वर्ष के भीतर संपूर्ण माईक्रो वाटर शेड क्षेत्र का उपचार प्रारंभ करना है। माईक्रो वाटरशेड की कुल उपचार अवधि 5 वर्ष रहेगी। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को ही इसके अन्तर्गत प्रस्तावित करना होगा। परियोजना प्रस्ताव में वन क्षेत्र में भू–जल संरक्षण कार्य, जल संवर्धन, वृक्षारोपण कार्य, सहायक पुनरूत्पादन कार्य आदि कार्य प्रस्तावित करना है।

अपेक्षित कार्यवाही –

1. उपरोक्तानुसार आगामी 5 वर्षो में उपचार की जाने वाले परियोजना क्षेत्र संबंधी treatment series/felling series का कक्ष, कूपवार क्षेत्रफल विवरण देते हुए क्षेत्र का वन घनत्व, प्रस्तावित उपचार के संबंध में संक्षिप्त टीप दिया जाना है। साथ में वनमंडल नक्शा, मेनेजमेंट मैप, स्टाक मैप में उपरोक्त क्षेत्र सीमा दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करना है।

2. वार्षिक कूप 2009–10 की digitalisation हेतु GPS Co-ordinates (पालिगन के प्रत्येक कार्नर के समस्त Co-ordinates) के साथ digitalise कर संबंधित स्टाक मैप में सीमा दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करना है।
3. संपूर्ण वार्षिक कूप उपचार हेतु परियोजना प्रस्ताव वन संरक्षक की तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना है। प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव में उपचार वर्गवार (उपचार माडल वार) पृथक–पृथक प्रस्ताव होना है।
4. क्षेत्र आवश्यकता Work studies के आधार पर उपरोक्त परियोजना के लिए संभावित व्यय गणना प्रस्तावित करना है। विभाग का सामान्य नार्मस से अंतर होने की स्थिति में Justification के साथ Steering Committee के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।
5. रोपण सुरक्षा में संयुक्त प्रबंधन वन समिति भूमिका बढ़ाने हेतु Performance based incentive का प्रावधान करना है। इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा तैयार करना है।
6. उपरोक्त वृक्षारोपण मानिटरिंग हेतु प्रक्रिया, पैरामीटर निर्धारण किया जाना है।
7. वन वृत्त, वनमंडल परिक्षेत्र रोपण स्थल – रोपण माडल – रोपण प्रजाति – पौध संख्या – कुल दर प्रति हे. – क्षेत्र फल कुल लागत, रोपणी स्थान प्रथम वर्ष की लागत, तकनिकी स्वीकृति दिनांक, रिर्माक आदि विवरण के साथ वृत्तवार गोशवारा तैयार कर कैम्पा को प्रस्तुत करना है।
8. रोपण माडल – कुल क्षेत्रफल – औसत यूनिट दर – कुल आवश्यक राशि – प्रथम वर्ष हेतु आवश्यक राशि – आदी विवरण के साथ कैम्पा –ए.पी.ओ. के लिए गोशवारा राशि पत्रक तैयार कर प्रस्तुत करना है।

2.2. Forest Protection

2.2.3. Patrolling

2.2.1.1. Forest strike force at divisional level

प्रस्ताव – प्रत्येक वनमंडल में वन सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग हेतु एक फारेस्ट स्ट्राईक फोर्स का गठन किया जायेगा। प्रत्येक दल में एक वाहन तथा छः सुरक्षा कर्मी रहेगे। वर्ष 2009–10 में 20 दल गठन करना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त फारेस्ट स्ट्राईक फोर्स वन सुरक्षा तथा पेट्रोलिंग हेतु किस प्रकार उपयोग किया जायेगा तथा सुरक्षा कर्मियों का चयन किस आधार पर होगी विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया जाना है।

उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए 20 वनमंडलो का चयन सूची मुख्य वन संरक्षक (संरक्षक) द्वारा प्रस्तुत करना है।

2.2.1.2. Forest strike force at range level

प्रस्ताव – वन सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग हेतु परिक्षेत्र स्तर पर वाहन प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 में 60 परिक्षेत्र हेतु वाहन प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त वाहन वन सुरक्षा तथा पेट्रोलिंग हेतु किस प्रकार उपयोग किया जायेगा विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया जाना है। उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील 60 परिक्षेत्रों का चयन सूची, चयन के आधार के साथ मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा प्रस्तुत करना है।

2.2.1.3. Recurring expenditure on vehicles

प्रस्ताव – उपरोक्तानुसार स्ट्राईक फोर्स हेतु वाहन चालक वेतन, पी.ओ.एल. तथा वाहन रख–रखाव पर होने वाले व्यय कैम्पा फण्ड से किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त प्रस्ताव हेतु वार्षिक व्यय नार्मस, वन सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग मानिटरिंग हेतु पेरामीटर एवं लक्ष्य निर्धारण किया जाना है।

2.2.1.4. Strengthening of Patrolling at beat and circle level

प्रस्ताव – बीट तथा सर्किल स्तर पर पेट्रोलिंग कार्य स्वयं की मोटर साईकिल उपयोग करने की स्थिति में हेतु क्रमशः रूपये 800 प्रति बीट गार्ड एवं रूपये 1200 प्रति परिक्षेत्र सहायक के लिए पी.ओ.एल. एवं वाहन रख–रखाव हेतु वाहन भत्ता कैम्पा फण्ड से दिया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सुरक्षा, पेट्रोलिंग मानिटरिंग पेरामीटर एवं लक्ष्य निर्धारण करना है।

2.2.3. Fire Protection

2.2.2.1. Fire control force

प्रस्ताव – प्रत्येक परिक्षेत्र में फायर सीजन में 4 माह के लिए फायर कंट्रोल फोर्स गठन किया जाना है। इस दल द्वारा ग्रामीणों सूचना एवं सेटेलाईट डाटा के आधार पर जन सहभागिता से परिक्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कार्य किया जायेगा। परिक्षेत्र स्तर पर वन क्षेत्र में अग्नि घटनाओं का डाटाबेस तैयार कर आनलाईन एप्लीकेशन में एन्ट्री कराना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तथा वार्षिक व्यय नामर्स, मानिटरिंग व्यवस्था निर्धारण तैयार किया जाना है।

2.2.2.2. Participatory fire control management

प्रस्ताव – प्रत्येक वन समिति स्तर पर जन सहभागिता से वन क्षेत्रों में अग्नि घटनाओं में कमी लाने हेतु सहभागी अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना प्रस्तावित है। जिसके तहत सक्रिय वन समितिया जो अग्नि सुरक्षा कार्य में विशेष भूमिका निभाते है। उन्हें ग्राम विकास एवं अनुग्रह राशि दिया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तथा वार्षिक व्यय नामर्स निर्धारण करना है।

2.2.2.3. Construction of fire watch towers

प्रस्ताव – अग्नि सुरक्षा हेतु संवेदनशील क्षेत्र में वाच टावर्स निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 15 वाच टावर्स निर्माण किया जावेगा।

अपेक्षित कार्यवाही – वाच टावर्स स्थापना हेतु स्थान चयन , निर्माण एवं उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करना है। प्रत्येक वाच टावर हेतु स्थल विवरण, चयन आधार, स्ट्रक्चरल डिजाईन, ड्राईंग, प्राक्कलन एवं वन संरक्षक द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है।

2.2.3. Establishment of Bureau of forest crime

प्रस्ताव – विभाग मुख्यालय तथा वन वृत्त मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम के साथ फारेस्ट क्राईम ब्यूरो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक कंट्रोल रूम के साथ एक वाहन, कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण

उपलब्ध होगी। उपरोक्त प्रस्ताव में फारेस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क निर्माण तथा इन्फारमर्स को इंसेंटिव दिये जाने का प्रावधान भी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 2 कंट्रोल रूम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त केन्द्र स्थापित करने हेतु सिविल वर्क, उपकरण, कर्मचारी चयन, इंटेलिजेंस नेटवकिंग, इन्फार्मस संख्या बढ़ाने, कंट्रोल रूम संचालन तथा डाटा एनालिसिस एवं रैपिड एक्शन संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करना है। कंट्रोल रूम स्थापना हेतु स्थल विवरण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईंग, उपकरण स्पेशिफिकेशन, प्राक्कलन एवं वन संरक्षक द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है।

2.2.3. Protection of forest area adjoining urban settlements

प्रस्ताव – शहरी क्षेत्र से लगे हुए वन क्षेत्र सुरक्षा फेन्सिग या Masonary वाल द्वारा सुरक्षा किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्तानुसार स्थल चयन हेतु दिशा निर्देश तैयार करना है। चयनित स्थान के लिए स्पष्ट रूप से चयन आधार देते हुए प्राक्कलन एवं वन संरक्षक द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है।

2.2.3. E - POR

प्रस्ताव – पी.ओ.आर. डाटा ट्रान्सफर तथा एनालिसिस हेतु उपयुक्त आनलाईन एप्लीकेशन व्यवस्था निर्मित करना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त आनलाईन एप्लीकेशन तैयार करने हेतु प्रक्रिया, समयबर्द्ध प्रणाली तैयार किया जाना है।

2.2.3. Mobile Telephony

प्रस्ताव – मैदानी कर्मचारियों के सूचना तंत्र में सुधार लाने हेतु स्वंय के मोबाईल के लिए उन्हें रूपये 500 मोबाईल टेलिफोन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किया जाना है।

2.2.3. Training on fire arms

प्रस्ताव – वन कर्मचारियों का बंदूक उपयोग करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त संबंध में कर्मचारी चयन, उचित संस्थान में प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है। पुराने बंदूक वापस लेने एवं नये बंदूक क्रय करने हेतु उचित कार्यवाही किया जाना है।

2.3. IT in Forestry

2.3.3. IT infrastructure development

प्रस्ताव – विभाग मुख्यालय का आई.टी. अधोसंरचना विकास करना है। एफ.एम.आई.एस. वनमंडल में अधोसंरचना विकास, जी.आई.एस. साफ्टवेयर क्रय तथा सिविल एवं इलेक्ट्रीकल रिनोवेशन कार्य किया जाना है। राज्य में 7 जियोमेटिक सेंटर आई.टी. अधोसरंचना के साथ स्थापित करना है। वन वृत्त से लेकर परिक्षेत्र स्तर तक समस्त कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर एवं जी.पी.एस. आदि उपलब्ध कराना है। उपरोक्त कार्यो के लिए कम्प्यूटर कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्यो के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर आदि का ब्यौरा, तकनीकी मापदण्ड, क्रय तथा इन्सटालेशन आदि संबंध में प्रक्रिया निर्धारित किया जाना है। सिविल वर्कस हेतु स्थल विवरण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईंग, उपकरण स्पेशिफिकेशन तथा प्राक्कलन एवं वन संरक्षक द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है। कम्प्यूटर कर्मियों के संविदा आधार पर चयन हेतु प्रक्रिया, कुल कर्मियों की संख्या, वेतन एवं उनके मुख्य कार्य आदि निर्धारण करना है।

2.3.3. Database Updation

प्रस्ताव – डिजिटल डाटा क्रय एवं प्रोसेसिंग तथा मुख्य कार्यो का डिजिटालाईजेशन

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्य हेतु तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण एवं डिजिटाईजेशन आदि कार्यो के लिए जॉब दर निर्धारण किया जाना है। डिजिटालाईजेशन किये जाने वाले रिकार्ड संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया जाना है।

2.3.3. Forest Map (Digital) Production

प्रस्ताव – वन अच्छादन में परिवर्तन, अग्नि घटना क्षेत्र चिन्हांकन एवं मानिटरिंग व्यवस्था विकास करना एवं विभिन्न प्रकार के मैप तैयार किया जाना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्य हेतु प्रक्रिया निर्धारण करना एवं मैप तैयारी हेतु जॉब दर निर्धारित किया जाना है।

2.3.3. Application software development – (DSS)

प्रस्ताव – कार्य योजना, उत्पादन, वृक्षारोपण, वन प्रबंधन समिति, संरक्षण, लद्युवनोपज तथा अन्य प्रकार के डेशिशन सपोटिंग सिस्टम विकसित करना जिसमें जी.आई.एस. एवं जी.पी.एस. तकनीकी के साथ आवश्यक साफ्टवेयर क्रय एवं परीक्षण किया जाना तथा आई.टी. कंसल्टेंट की नियुक्ति करना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – डी.एस.एस. तैयार करना एवं कंसल्टेंट नियुक्ति संबंध में प्रक्रिया निर्धारण करना है।

2.3.3. Computer Networking

प्रस्ताव – विभिन्न वन विभाग कार्यालयों को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रय सहित।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्य हेतु तकनीकी मापदण्ड, क्रियान्वयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना है।

2.3.3. Capacity building

प्रस्ताव – वन कर्मचारियों का आई.टी. तथा अन्य तकनीकी विषय संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है।

अपेक्षित कार्यवाही – प्रशिक्षण विषय, प्रशिक्षण स्थान तथा कर्मचारी लक्ष्य एवं प्रशिक्षण व्यय आदि का विवरण दिया जाना है।

2.4. Research and Training

2.4.3. Research Infrastructure development

2.4.1.1. Develop Infrastructure of SFRTI

प्रस्ताव – सिविल वर्कस, उपकरण क्रय, फर्नीचर व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास

अपेक्षित कार्यवाही – सिविल वर्कस हेतु आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईग, उपकरण स्पेशिफिकेशन, प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है।

2.4.1.2. Establish Central tissue culture lab

प्रस्ताव – सिविल वर्कस, उपकरण क्रय, फर्नीचर व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास एवं लैब संचालन

अपेक्षित कार्यवाही – सिविल वर्कस हेतु आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईंग, उपकरण स्पेशिफिकेशन, प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है। लैब संचालन हेतु तकनीकी प्रस्ताव तथा तकनीकी कर्मचारी नियुक्ति संबंध में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना है।

2.4.1.3. **Establish seed testing & Certification centre**

प्रस्ताव – सिविल वर्कस, उपकरण क्रय, फर्नीचर व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास एवं लैब संचालन

अपेक्षित कार्यवाही – सिविल वर्कस हेतु आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईंग, उपकरण स्पेशिफिकेशन, प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है। लैब संचालन हेतु तकनीकी प्रस्ताव तथा तकनीकी कर्मचारी नियुक्ति संबंध में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना है।

2.4.1.4. **Establish Forest soil testing lab**

प्रस्ताव – सिविल वर्कस, उपकरण क्रय, फर्नीचर व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास एवं लैब संचालन

अपेक्षित कार्यवाही – सिविल वर्कस हेतु आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईंग, उपकरण स्पेशिफिकेशन तथा प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है। लैब संचालन हेतु तकनीकी प्रस्ताव तथा तकनीकी कर्मचारी नियुक्ति संबंध में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना है।

2.4.1.5. **Establish Central Forest library**

प्रस्ताव – सिविल वर्कस, उपकरण क्रय, फर्नीचर व्यवस्था एवं अधोसंरचना विकास एवं लाईब्रेरी संचालन

अपेक्षित कार्यवाही – सिविल वर्कस हेतु आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल डिजाईन – ड्राईंग, उपकरण स्पेशिफिकेशन तथा प्राक्कलन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव भेजना है। लाईब्रेरी संचालन हेतु तथा कर्मचारी नियुक्ति संबंध में प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना है।

2.4.3. **Forest Research activities**

2.4.2.1. **Establish Central Research plots**

प्रस्ताव – राज्य के तीन वन अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में 200 हे. रिसर्च प्लाट स्पेशिस ग्रोथ ट्राईल्स, क्लोनल मल्टीप्लीकेशन एरिया, सीड प्रोडक्शन एरिया आदि प्लाट एवं प्रदर्शन प्लाट स्थापित करने हेतु स्थापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्थापित रिसर्च प्लाट रख–रखाव भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त रिसर्च प्लाट एक ही स्थान पर होना आवश्यक है तथा यह स्थान जहां तक संभव अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र मुख्यालय से बहुत नजदीक होना है। क्षेत्र चयन का आधार बताते हुए क्षेत्र में वाटर शेड मैनेजमेंट सिद्धांतों के आधार पर जल भंडारण, वाटर हार्वेस्टिंग, फन्सिंग, टयूब वेल/कुआ, निरीक्षण पथ, तथा उपरोक्त रिसर्च प्लाट स्थापना हेतु प्रस्ताव तैयार कर वन संरक्षक द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्ताव भेजना है।

2.4.2.2. Forest Research activities

प्रस्ताव – विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य प्रस्तावित है। बी.एस.आई. तथा जेड.एस.आई. की सहायता से जैव विविधता सर्वेक्षण करना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – अनुसंधान विषय, प्रक्रिया, अनुसंधानकर्ता नाम, संभावित व्यय आदि का विवरण के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना है। जहां तक संभव कैम्पा द्वारा स्वीकृत होने वाले कार्यो में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक अनुसंधान कार्य प्रस्तावित किया जाना उपयुक्त होगा। जैव विविधता सर्वेक्षण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना है।

2.4.2.3. Appointment of Research fellows on contract

प्रस्ताव – विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु 10 रिसर्च फैलो को संविदा पर नियुक्त करना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त संविदा कर्मियों को नियुक्त करने हेतु प्रक्रिया, उनका उपयोग संबंध में प्रस्ताव भेजना है।

2.4.3. Establish Lead and Botanical Gardens

प्रस्ताव – राज्य के तीन एग्रो क्लाईमेटिक जोन्स में बोटेनिकल गार्डन स्थापना करना है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्य हेतु प्रक्रिया निर्धारण, तकनीकी प्रस्ताव समयावधि तथा लागत विवरण दिया जाना है।

2.4.3. **Ensure planting stock improvement programme (High tech nurseries)**

प्रस्ताव – राज्य में प्रत्येक सर्किल में एक हाईटेक नर्सरी स्थापित कर उच्च गुणवत्ता पौध तैयार कर रोपण कार्य के लिए उपलब्ध कराना इस कार्य का मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत क्षेत्रीय या अनुसंधान –विस्तार केन्द्र द्वारा संचालित अति उत्तम नर्सरी चयन कर हाईटेक नर्सरी के रूप में अपग्रेड कराना है। उक्त नर्सरी द्वारा उच्च गुणवत्ता टौल सीडलिग्स, ग्राफ्टेड, क्लोनल पौधे तैयार किया जायेगा। प्रस्तावित राशि से नर्सरी अधोसंरचना विकास जैसे कि नर्सरी विस्तार, सिंचाई स्त्रोत्र का विकास, सिंचाई डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था, पौली प्रोपोगेटर, अंकुरण बेड, शेड हाऊस निर्माण, हार्डनिंग चैम्बर निर्माण तथा रूट ट्रेनर क्रय आदि कार्य किया जाना है। उपरोक्त कार्य राज्य के तीन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों द्वारा किया जायेगा अर्थात प्रत्येक केन्द्र द्वारा 2 हाईटेक नर्सरी पृथक–पृथक सर्किल के लिए विकसित किया जायेगा।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्तानुसार विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर वन संरक्षक तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना है। साथ ही उपरोक्त नर्सरी संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था, चयनित प्रजाति एवं पौध उत्पादन लक्ष्य दिया जाना है। प्रत्येक पौध उत्पादन दर हेतु नार्मस तैयार करना है। ध्यान रहे कि उपरोक्त राशि मात्र नर्सरी अधोसंरचना विकास के लिए है। पौध उत्पादन हेतु पृथक से राशि जारी किया जायेगा।

2.4.3. **Promote agro/farm forestry in JFMC's areas**

प्रस्ताव – संयुक्त वन प्रबंधन समिति क्षेत्रों में कृषि/ फार्म वानिकी को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख पौधे तैयार करने का प्रस्तावित किया जाता है। साथ ही कृषि/फार्म वानिकी के लिए इच्छुक कृषकों की चयन तथा फार्म फारेस्ट्री बढ़ावा हेतु जागरूकता अभियान हेतु इस प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्तानुसार पौध तैयार करने हेतु राज्य के तीन अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्रों को प्रजातिवार लक्ष्य प्रस्तावित करना है। उपरोक्त फार्म वानिकी को बढ़ावा देने हेतु वन प्रबंधन समिति क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए फार्म फारेस्ट्री विस्तार संबंधी मॉडल निर्धारित करना है। इसमें पौध तैयारी, कृषक चयन, रोपण रख–रखाव, जागरूकता अभियान एवं तकनीकी प्रशिक्षण आदि समस्त विषयों को सम्मलित करते हुए प्रक्रिया तथा प्रति पौध व्यय निर्धारित करना है। उपरोक्त प्रस्ताव में विस्तृत रूप में ग्रामीण युवाओं/स्व सहायता समूहों को एक्शटेंशन वकर्स चयन एवं उपयोग संबंध में प्रस्ताव सम्मिलित किया जा सकते है।

2.4.3. **Organise Workshops, trainings**

प्रस्ताव – विभिन्न तकीनकी विषयों पर कर्मचारी/अधिकारी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजना एवं अन्तर्राष्ट्रीय, र्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम प्रसतावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्यो के लिए विषय वस्तु, लक्ष्य, स्थल विवरण संभावित व्यय विवरण प्रस्तुत करना है।

2.5. Development of Medicinal Plants

2.5.3. Medicinal Plants Production

प्रस्ताव – **औषधी पौध तैयारी**

अपेक्षित कार्यवाही – स्थानीय मूल्यांकन औषधी प्रजाति नाम, पौध तैयारी लक्ष्य, व्यय नार्मस निर्धारण करते हुए चयनित नर्सरी का नाम प्रस्तावित किया जाना है। उपरोक्त औषधी पौध किस प्रकार उपयोग की जावेगी प्रस्तावित करना है।

2.5.3. Medicinal Plants Cultivation

प्रस्ताव – औषधी पौध खेती

अपेक्षित कार्यवाही – ANR या विगत वर्ष में विदोहित कूप में उपरोक्त औषधी पौधों को अधोः रोपण करना प्रस्तावित है। इसके लिए उपयुक्त Felling Series चयन कर विवरण दिया जाना है अर्थात उपरोक्त क्षेत्र के लिए Series of compartments को चयन करना है। रोपण क्षेत्र प्रस्तावित सीमा का डिजिटालाईजेशन कर वनमंडल नक्शा पर सूपरिम्पोंज करना है। रोपण व्यय नार्मस निर्धारण करते हुए कुल उत्पाद मार्केटिंग हेतु प्रक्रिया प्रस्तावित करना है। औषधी खेती कार्य स्थानीय महिला स्व–सहायता समूहों को सोपना उचित प्रतीत होती है। इस हेतु उचित प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।

2.6. Infrastructure development

2.6.3. Infrastructure development (Buildings)

प्रस्ताव – संलग्न तालिका – 2 में दिया अनुसार विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण प्रस्तावित है। नक्सली प्रभावित क्षेत्र में लाईन क्वाटर्स बनाना प्रस्तावित है।

अपेक्षित कार्यवाही – प्रत्येक भवन के लिए Arechitectural, Structural design & drawings एवं वर्तमान सी.एस.आर. दर के आधार पर प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना है। उपरोक्त भवन निर्माण हेतु चयन आधार के साथ चयनित स्थल सूची प्रस्तुत करना है।

2.6.3. Infrastructure development (Vehicles)

प्रस्ताव – संलग्न तालिका – 2 में दिया अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहन क्रय करना प्रस्तावित है। साथ ही पी.ओ.एल रख–रखाव आदि का व्यय कैम्पा फण्ड से किया जाना है।

अपेक्षित कार्यवाही – चयनित वाहन मेक, मॉडल, वाहन क्रय प्रक्रिया तथा वाहन आबंटन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना है। विभिन्न क्षेत्र या अधिकारियों के लिए प्रस्तावित आबंटन सूची चयन आधार के साथ प्रस्तुत करना है।

2.7. Wild Life

वन्यप्राणी से संबंधित कार्यो में कैम्पा फण्ड उपयोग करने हेतु सिरीस ऑफ कम्पाटमेंट (Treatment series) चयन करना है। उक्त क्षेत्र में अन्य किसी मद से कैम्पा फण्ड से किया गया कार्य प्रस्तावित नहीं करना है ताकि कैम्पा फण्ड से क्रियान्वित कार्यो को पृथक पहचान मौके पर मिल सके। इसी प्रकार चयनित क्षेत्रों का सीमाओं का डिजिटालाईजेशन हेतु जी.पी.एस. कोआर्डिनेर्टस लिया जाये। मुख्यतः हैबिटेट विकास हेतु चयनित क्षेत्र का सीमा पालीगन के समस्त कानर्स पर जी.पी.एस. कोआर्डिनेर्टस लेकर पी.ए. मैनेजमेंट मैप, स्टाक मैप पर सुपरिपोज करना है। जहां तक संभव हो एक या दो अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का कैम्पा हेतु चयन किया जावे।

2.7.3. **Improvement of Habitat**

2.7.1.1. **Elephant habitat development**

प्रस्ताव – वाटर बाडीस बनाना तथा फोरेज बढ़ाने हेतु रोपण

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त वाटर बाडीस बनाना एवं फोरेज रोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का सीमा डिजिटालाईजेशश्न हेतु जी.पी.एस. कोआर्डिनेर्टस लेते हुए विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना है। हैबिटेट क्षेत्र के नक्शे पर उपरोक्त स्थानों को चिन्हांकन कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना है।

2.7.1.2. Habitat development in PA's

प्रस्ताव – वाटर बाडीस बनाना, भू जल संरक्षण तथा फोरेज बढ़ाने हेतु रोपण

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त वाटर बाडीस बनाना एवं फोरेज रोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का सीमा डिजिटाईजेशश्न हेतु जी.पी.एस. कोआर्डिनेर्टस लेते हुए विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना है। हैबिटेट क्षेत्र के नक्शे पर उपरोक्त स्थानों को चिन्हांकन कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना है।

2.7.1.3. Wild Buffalo conservation

प्रस्ताव – Wild Buffalo Breeding centre upgradation, सिंचाई विकास, एनीकेट निर्माण फोरेज बढ़ाने हेतु रोपण

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्य क्षेत्र हेतु वाटर बाडीस बनाना एवं फोरेज रोपण आदि हेतु प्रस्तावित स्थल का डिजिटालाईजेशश्न हेतु जी.पी.एस. कोआर्डिनेर्टस लेते हुए विस्तृत प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना है। हैबिटेट के नक्शे पर उपरोक्त स्थानों को चिन्हांकन कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करना है।

2.7.1.4. Hill Myna Conservation

प्रस्ताव – मैना पहचान हेतु सर्वेक्षण एवं मैना संरक्षण हेतु जागरूक अभियान।

अपेक्षित कार्यवाही – उपरोक्त कार्य हेतु प्रक्रिया एवं व्यय नार्मस निर्धारण करना है।

2.7.3. Infrastructure Development (Wild Life)

प्रस्ताव – वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु प्रस्ताव।

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Upgradation of WL Protection Mechanism**

प्रस्ताव – पेट्रोलिंग हेतु वाहन , पेट्रोलिंग कैम्प, वाच टावर्स एवं सीमांकन आदि।

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Introduction of Modern Equipment for Wildlife Management**

प्रस्ताव – आवश्यक उपकरण क्रय

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है तथा उपकरण उपयोग संबंध में विवरण दिया जाना है।

2.7.3. **Eco-tourism**

प्रस्ताव – ईकोटूरिजम

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Wildlife Training and Skill Development**

प्रस्ताव – वन्यप्राणी प्रशिक्षण संस्थान स्थापना

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Upgradation of Zoological Parks**

प्रस्ताव – नंदनवन एवं कानन पेण्डारी सुदृढ़ीकरण

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं संभावित व्यय जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Creation of Animal Rescue centres**

प्रस्ताव – प्रत्येक वनमंडल हेतु वन्यप्राणी रेसक्यू व्यवस्था

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Eco-development of villages inside and around the PAs**

प्रस्ताव – इको डेवलपमेंट

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Study of Biodiversity in PAs**

प्रस्ताव – जैव विविधता सर्वेक्षण

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं संभावित व्यय प्रस्तुत करना है।

2.7.3. Implementation of Chhattisgarh Biodiversity State Action Plan

प्रस्ताव – एक्शन प्लान क्रियान्वयन

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत घटकवार विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

2.7.3. **Reducing man-animal conflict**

प्रस्ताव – जागरूक अभियान तथा इलेक्ट्रीक फेन्सिंग

अपेक्षित कार्यवाही – विस्तृत विवरण एवं स्थलवार जानकारी प्रस्तुत करना है।

3. CAMPA Administration

प्रस्ताव – कार्यालयीन व्यय एवं संविदा कर्मियों का वेतन तथा उपकरण क्रय आदि।

अपेक्षित कार्यवाही – घटकवार संभावित व्यय विवरण दिया जाना है। कैम्पा फण्ड लेखा व्यवस्था तथा मानिटरिंग व्यवस्था हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

4. Monitoring & Evaluation @ 2%

प्रस्ताव – कैम्पा फण्ड द्वारा स्वीकृत कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था का गठन

अपेक्षित कार्यवाही – कैम्पा फण्ड द्वारा स्वीकृत कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु वनमंडल, वृत्त तथा मुख्यालय स्तर पर पृथक मानिटरिंग व्यवस्था निर्धारण, आवश्यक विभाग के अधिकारी – कर्मचारी संविदा कर्मियों का सेटअप निर्धारण, संविदा कर्मियों हेतु चयन प्रक्रिया तथा वेतन आदि निर्धारण। मानिटरिंग हेतु प्रारूप निर्धारण एवं आनलाईन एप्लीकेशन व्यवस्था तैयार करने के बारे में प्रस्ताव।

5. NREGA guidelines को CAMPA funds स्वीकृत कार्यो में अमल करना

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत शासन पत्र क्रमांक 13-1/2009-CAMPA Dt. 16.12.2009 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार NREGA guidelines को CAMPA funds स्वीकृत कार्यो के क्रियान्वयन में जहां तक संभव हो अमल करना है। इस हेतु MORD द्वारा जारी NREGA Operational guidelines 2008 3rd edition को www.nrega.nic.in से डाउन लोड कर परीक्षण कर अमल करें एवं समय–समय पर जारी इसके संशोधनों पर अमल करें।

(Dr. A.A. Boaz)
Member Secretary
Steering Committee State CAMPA
Chhattisgarh, Raipur